न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/51

विमल कुमार मोदी आत्मज स्वर्गीय दुर्गाशंकर जातियान तम्बोली निवासीगण वार्ड नम्बर 7, नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय नैनवा जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय जिला बून्दी ।
3. श्रीमान् अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री निखिल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 11.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.10.2002 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नैनवा नगरपालिका की सीमा में स्थित भूमि कुल किता 33 की कुल रकबा 179 बीघा 12 भूमि नगरपालिका नैनवा के आबादी विस्तार हेतु आरक्षित करने का आदेश पारित किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2002 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करन निवेदन किया कि उक्त आवंटित भूमि पूर्व में अपीलान्ट के पूर्वजों के खाते में दर्ज थी जिसे बिना सुनवाई का अवसर दिये सिवायचक दर्ज कर दिया गया इस कारण उक्त आवंटन आदेश निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2002 निरस्त फरमाया जावे ।

4. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.04.2016 को पटवारी हल्का से हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से वादग्रस्त आराजी नगरपालिका नैनवा को आबादी विस्तार के लिए आवंटित की है, जबकि इसमें से आराजी खसरा नम्बर 4374 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 4376 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 4377 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 4379 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 4381 रकबा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 4382 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 4383 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 4385 रकबा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 4386 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 4387 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 4398 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 4391 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 4395 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 4396 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 4399 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 4400 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 4521 रकबा 01 बीघा कुल किता 17 कुल रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के कब्जे में है । यह आराजी आवंटन के पूर्व से ही अपीलान्ट के खाते में दर्ज थी, गलत रूप से सिवाय चक दर्ज की गई है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का लम्बे समय से कब्जा है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना सिवायचक दर्ज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2002 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर ने विधि सम्मत रूप से सिवायचक आरजी को नगरपालिका को आबादी विस्तार के लिए आवंटित किया है । अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार नहीं है उनके द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है । पूर्व में भी इस न्यायालय में उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध अन्य पक्षकारों के द्वारा अपील पेश की गई गई जो इसी आराजी से सम्बन्धित थी, उन्हें न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

9. अपीलान्ट ने अपील के साथ कुछ दस्तावेज पेश किये हैं जो राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ प्रतीत होते हैं । इनमे से फर्द शिकमी काश्तकार तहसील नैनवा पेश की गई है जिसमें खसरा नम्बर 4163/2 रकबा 10 बिस्वा पर दुर्गाशंकर जोता दर्ज है । खसरा साल तस्दीक नैनवा पेश किया है इसमें भी खसरा नम्बर 4163/2 रकबा 10 बिस्वा, 4167 रकबा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 4206 रकबा 08 बिस्वा जो सरकार के खाते में दर्ज है पर दुर्गाशंकर को जोता दर्ज किया गया है ।

10. अपीलान्ट ने मुख्य रूप से अपील यह कथन करते हुए पेश की है कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में उनके खाते में दर्ज थी जिस पर उनका लम्बे समय से कब्जा है । जहॉ तक आराजी पूर्व में उनके खाते में दर्ज होने का प्रश्न है इस बाबत् उनके द्वारा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है जो शिकमी काश्तकार की नकलें पेश की गई है उसमें कुछ साबिक खसरा नम्बर जो सरकार के खाते में दर्ज है उसमें उनको जोता दर्शाया गया है परन्तु इस नम्बरान का मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया है और न ही सरकारी जमीन पर किस वर्ष विशेष में शिकमी दर्ज होने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । वादग्रस्त आराजी नैनवा नगरपालिका की सीमा की भूमि कुल किता 33 की कुल रकबा 179 बीघा 12 भूमि को अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से आबादी विस्तार के लिए नगरपालिका नैनवा को आवंटित किया है । अपीलान्ट ने इस आराजी पर अपना लम्बे समय से कब्जा बताया है । उन्होंने अपने लम्बे समय से लगातार कब्जे के समर्थन में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की गई है । यदि तर्क के लिए उक्त भूमि पर उनका कब्जा मान भी लिया जावे तो भी सरकारी जमीन पर कब्जे के आधार पर उन्हें आवंटित आदेश को चैलेंज करने का काई विधिक अधिकार नहिं है । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपनी विभिन्न नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अतिक्रमी को आवंटित आदेश को चैलेंज करने का कोई लोकस–स्टण्डाई नहीं है और अतिक्रमी के कब्जे की आराजी को आवंटन के लिए उपलब्ध आराजी माना जावेगा । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं है और अपील के साथ उन्होंने अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया है ।

11. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2002 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 11.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11.9.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा